राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

निर्णय दिनांक : 26.10.2023

मुकदमा नं. :– 203 / 2022

दलीप सिंह बनाम सतवीरसिंह वगै0

दलीपसिंह दत्तक पुत्र मंगेजसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं

———— वादीगण

बनाम

1. सतवीर सिंह पुत्र लिक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
2. सदाकंवर पुत्री लिक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
3. महेन्द्रसिंह
4. नौरंगसिंह
5. सुरेन्द्रसिंह
6. नरेन्द्रसिंह

पुत्रगण बालसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं

8. सुप्यार कंवर पत्नी स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
9. मंजू कंवर पुत्री स्व. दीपसिंह पत्नी रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी आबड़सर तहसील रतनगढ जिला चुरू
10. संतोष कंवर पुत्री स्व. दीपसिंह पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी आबड़सर तहसील रतनगढ जिला चुरू
11. विक्रम सिंह
12. जयसिंह
13. विरेन्द्रसिंह
14. संदीप सिंह

पुत्रगण स्व. दीपसिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं

15. सुन्ना कंवर पुत्री स्व. दीपसिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी आबड़सर तहसील रतनगढ जिला चुरू
16. कैलाश पुत्र स्व. बैरिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
17. पवन पुत्र स्व. बैरिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
18. उच्छव कंवर पुत्री स्व. बैरिसाल सिंह पत्नी बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी बोगेरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू
19. भंवरी कंवर पत्नी स्व. बैरिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
20. हवा कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह पत्नी बलवीर सिंह जाति राजपूत निवासी लोहा तहसील रतनगढ जिला चुरू
21. धापाकंवर पुत्री कुम्भसिंह पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी साहराण तहसील तारानगर जिला चुरू
22. मोहनी कंवर पुत्री बच्चन सिंह पत्नी जयसिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दरास तहसील तारानगर जिला चुरू

Scanned with OKEN Scanner

23. रूकमणी कंवर पुत्री बच्चनसिंह पत्नी प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी पुन्दरास तहसील तारानगर जिला चुरू
24. विजेन्द्रसिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
25. रोहिताश सिंह पुत्र बच्चन सिंह जाति राजपूत निवासी इण्डाली तहसील व जिला झुंझुनूं
26. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनूं
27. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक भड़ौंदा जरिये प्रबंधक
28. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गांधी चौक झुंझुनूं
29. ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा झुंझुनूं जरिये प्रबंधक

---- प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एक वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम इण्डाली तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 642 रकबा 0.37 है0, 643 रकबा 0.18 है0, 644 रकबा 0.26 है0, 645 रकबा 0.31 है0, 646 रकबा 0.15 है0, 647 रकबा 0.36 है0, 648 रकबा 0.74 है0, 648/1326 रकबा 0.02 है0, 652 रकबा 0.84 है0, 653 रकबा 0.75 है0, 654 रकबा 0.71 है0, 655 रकबा 0.84 है0, 972 रकबा 0.29 है0 कुल किता 13 का कुल रकबा 5.82 है0 अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नं. 128 मी रकबा 21 बिघा 17 विश्वा, खसरा नं. 332 रकबा 1 बिघा 3 बिश्वा हैं। जमीन जैर बहस का पहले खातेदार चन्द्रसिंह पुत्र सबल सिंह था। उक्त चन्द्रसिंह के 7 पुत्र गोरूसिंह, बालसिंह, लिछमणसिंह, मंगेजसिंह, बच्चनसिंह, प्रहलादसिह व कुम्भसिंह पैदा हुए। इस प्रकार जमीन जैर बहस में सबका 1/7 हक हिस्सा हुआ।

उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र गौरूसिंह का देहान्त हो चुका है। उक्त गोरूसिंह के एक पुत्र दीप सिंह पैदा हुआ। गौरूसिंह के देहान्त के बाद दीपसिंह 1/7 हिस्से पर काबिज हुआ। उक्त दीपसिंह का भी सन् 2007 के करीब देहान्त हो चुका है। प्रतिवादीगण 8 लगायत 15 उसके वारिसान हैं। अतः दीपसिंह के 1/7 हिस्से की जमीन प्रतिवादीगण 8 लगायत 15 को प्राप्त हुई। उक्त चन्द्र सिंह के पुत्र बालसिंह का भी देहान्त हो चुका है जिसके पांच पुत्र क्रमशः दलीपसिंह, महेन्द्रसिंह, नौरंगसिंह, सुरेन्द्रसिंह तथा नरेन्द्रसिंह पैदा हुए। उक्त बालसिंह का पुत्र वादी दलीपसिंह अपने चाचा मंगेज सिह के गोद चला गया। इस प्रकार बाल सिंह के हक हिस्से 1/7 हिस्से की जमीन प्रतिवादी 3 लगायत 6 को प्राप्त हुई। इस प्रकार चन्द्रसिंह के तीसरे पुत्र लिछमणसिंह के देहान्त के बाद उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 1, 2, 16 लगायत 19 को तथा मंगेज सिंह के देहान्त के बाद उसका 1/7 हिस्सा उसके दत्तक पुत्र वादी दलीपसिंह को प्राप्त हुई। इसी प्रकार बच्चनसिंह के देहान्त के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 से 25 को तथा प्रहलादसिंह के देहान्त के बाद उसका 1/7 हिस्सा प्रतिवादी नं. 22 को प्राप्त हुआ। उक्त चन्द्रसिंह के पुत्र कुम्भसिंह का देहान्त होने से उसका 1/7 हिस्सा प्रतिवादिया नं. 21 को प्राप्त हुआ। इसी मुताबिक सभी अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं। चन्द्र सिंह के देहान्त के बाद नामान्तकरण संख्या 46 के द्वारा जमीन जैर बहस उसके 7 पुत्रों की बजाय 2 पुत्रों बालसिंह पुत्र लिछमण सिंह के नाम गलत दर्ज कर जो काबिल दुरूस्ती है।

उक्त बालसिंह का देहान्त हो जाने के पश्चात उसके पुत्रों महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्रसिंह व नरेन्द्र सिंह के मन में बेईमानी पैदा हो गई ओर गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में जमीन जैर बहस गत खसरा नं. 300 तादादी 13 बिघा 15 बिश्वा में से 1/2 हक हिस्से की जमीन दिनांक 21.09.2000 को प्रतिवादी रणवीर सिंह व लालचंद को जरिये रजिस्ट्रड विक्रय पत्र गलत रूप से विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र हक हकूकों के

Scanned with OKEN Scanner

खिलाफ शून्य है। वादी वर्णित भूमि में 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है। जब वादी ने प्रतिवादीगण को अपना हिस्सा रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा जमीन जैर बहस को रहन विक्रय करने एवं वादी को भौतिक रूप से उपयोग व उपभोग करने में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी। तब जाकर वाद कारण हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 25 की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार मीणा द्वारा वकालतनामा, ईकबाली जबाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 15 की ओर से अधिवक्ता श्री जुगल किशोर सैनी द्वारा वकालतनामा व ईकबाली जबाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित कुमार शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा समयावधि में जबाब दावा पेश नहीं करने पर इनकी जबाबदेही बंद की गई। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने अपने समर्थन में न्यायालय हाजा के मुकदमा नं. 132/2019 निर्णय दिनांक 04.05.2022 व आर. आर. डी. 1991 के पृष्ठ संख्या 1128 का उद्धरण दिया। जबाब में अधिवक्ता प्रतिवादीगण 20 लगायत 25 ने अधिवक्ता वादी के पक्ष में समर्थन देते हुए मूल वाद व काउंटर क्लेम के मुताबिक वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। तद्उपरान्त वाद पत्र व काउंटर क्लेम का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस विद्वान अधिवक्तागण पर बगौर मनन किया गया। वाद में चाहे गये रिलिफ की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व न्यायालय हाजा के मुकदमा नं. 132/2019 निर्णय दिनांक 04.05.2022 से होना स्पष्ट रूप से जाहिर है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायालय मत पर न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :—

—: निर्णय :—

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम इण्डाली तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 642 रकबा 0.37 है0, 643 रकबा 0.18 है0, 644 रकबा 0.26 है0, 645 रकबा 0.31 है0, 646 रकबा 0.15 है0, 647 रकबा 0.36 है0, 648 रकबा 0.74 है0, 648/1326 रकबा 0.02 है0, 652 रकबा 0.84 है0, 653 रकबा 0.75 है0, 654 रकबा 0.71 है0, 655 रकबा 0.84 है0, 972 रकबा 0.29 है0 कुल किता 13 का कुल रकबा 5.82 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 20 एवं 21 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण 22 लगायत 25 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबंदी बदस्तुर रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदायी (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— **श्रीमती कविता गोदारा आर.ए.एस.**

उनवान :— दलीप सिंह बनाम सतवीरसिंह वगै0

दावा बाबत घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. :— 203/2022 निर्णय दिनांक : 26.10.2023

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश सैनी, प्रतिवदी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित शर्मा, प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 25 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार मीणा व प्रतिवादी 26 सरकार की ओर से राजकीय पैरोकार श्री श्रवण सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 26.10.2023 को श्रीमती कविता गोदारा उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम इण्डाली तहसील झुंझुनूं के हाल भूमि खसरा नं. 642 रकबा 0.37 है0, 643 रकबा 0.18 है0, 644 रकबा 0.26 है0, 645 रकबा 0.31 है0, 646 रकवा 0.15 है0, 647 रकबा 0.36 है0, 648 रकबा 0.74 है0, 648/1326 रकबा 0.02 है0, 652 रकबा 0.84 है0, 653 रकबा 0.75 है0, 654 रकबा 0.71 है0, 655 रकबा 0.84 है0, 972 रकबा 0.29 है0 कुल किता 13 का कुल रकबा 5.82 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 20 एवं 21 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण 22 लगायत 25 को संयुक्त रूप से 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबंदी बदस्तुर रहेगी। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब किया गया। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वदी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	3
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5	योग	3

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

Scanned with OKEN Scanner